आयोजनागत

संख्या 2730/III(2)/05-25(बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 15 दिसम्बर,2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या 1333(1)/XXVII(1)/2005 दिनांक 20.10.2005, शासनादेश संख्या 661/III(2)/05-25(बजट)/05 दिनांक 22 जून 2005 के अनुक्रम में एवं आपके पत्र संख्या 3353/06 बजट/(मार्ग/सेतु अनु0)/05-06 दिनांक 24.10.05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित रू0 10000 हजार (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. (क) प्रस्तावित सूची में सबसे पुराने मार्गों को नवीनीकरण हेतु वरीयता दी जायेगी।

(ख) वर्तमान में जिन मार्गों की सतह अत्यन्त खराब है उन्हें भी सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण किये गये मार्गों की स्थिति 5 वर्ष से पूर्व खराब होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य अभियन्ताओं को सीधे रूप से जिम्मेदार समझा जायेगा। तथा नवीनीकृत किये गये कि0मी0 की सूची मुख्य अभियन्ता स्तर-1 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी,ताकि भौतिक सत्यापन कराया जा सके।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का सी0डी0एल0 के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा।पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व में ही चालू योजनाओं पर शासन की स्वीकृति से प्रस्तावित किया जायेगा जिसमें 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, जिन योजनाओं में 75 प्रतिशत या इससे अधिक के कार्य अवशेष नहीं है उन योजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किया जायेगा, कार्यवार/योजनावार आवंटन का सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्यों पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय,व्यय लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुरूप ही कराया जायेगा।

5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन/पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, कार्य की गुणवत्ता व शुद्धता के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे, तथा उपरोक्त विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6. व्यय उन्हीं मदों /योजनाओं पर किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा, तथा स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार किश्तों में कोषागार से आहरित किया जायेगा, कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता का दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

7. स्वीकृत धनराशि के पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की धनराशि के उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त आहरित की जायेगी,कार्यों से संबंधित वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक माह के समाप्त 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.06 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 22 लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत 337 सड़क निर्माण कार्य 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 206/XXVII(2)/05 दिनांक 12 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2790(1)/III(2)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,देहरादून।
2 आयुक्त गढ़वाल, कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3 सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय,देहरादून।
4 श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त व्यय अनुभाग।
4 निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
5 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7 मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमाऊं लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा।
8 वित्त अनुभाग 2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9 लोक निर्माण अनुभाग 1/3 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।